

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र,

7वीं मंजिल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380019

दूरभाष: (079) 26303612 ई-मेल: ccuahmedabad@gmail.com फैक्स: (079) 26303607

स्थापना आदेश सं. -01/2015

दिनांक: 07 जनवरी, 2015


विषय : DG (सतर्कता), अहमदाबाद जोनल इकाई, अहमदाबाद में रोटेशनल ट्रांसफर बेसिस पर अधिकारियों की नियुक्ति- 2014 के बारे में ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद के निम्न अधिकारियों को नीचे उनके नाम के आगे दर्शाये स्थलों पर रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर तैनात किया जाता है। रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर तैनाती निदेशालय में कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की जाती है।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम: (सर्व श्री) एवं आयुक्तालय	लोन बेसिस/डेपुटेशन बेसिस पर	आवंटित किया गया क्षेत्र
DG (सतर्कता), AZU, अहमदाबाद			
1	वी. वी. नायर, अधीक्षक, सेवा कर, अहमदाबाद	रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर	DG(सतर्कता), अहमदाबाद जोनल इकाई, अहमदाबाद
2	के. एम. यागनिक, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-II, अहमदाबाद	रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर	DG(सतर्कता), अहमदाबाद जोनल इकाई, अहमदाबाद
3	एम. ए. नवाब, अधीक्षक (मु.आ.का.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र, अहमदाबाद (के.उ.शु. अहमदाबाद-II में स्थानांतरण आदेश के अधीन)	रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर	DG(सतर्कता), अहमदाबाद जोनल इकाई, अहमदाबाद
4	डी. के. वसानी, निरीक्षक, सेवा कर, अहमदाबाद	रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर	DG(सतर्कता), अहमदाबाद जोनल इकाई, अहमदाबाद
5	राजेश कुमार कालिया, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-II	रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर	DG(सतर्कता), अहमदाबाद जोनल इकाई, अहमदाबाद
6	निकुंज पुरबिया, कर सहायक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट	रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर	DG(सतर्कता), अहमदाबाद जोनल इकाई, अहमदाबाद

02. रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर तैनात किये गये अधिकारी मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद जोन की कार्य क्षमता (working strength) में दर्शाये जायेंगे । रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर तैनात किये गये अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-II द्वारा आहत किये जायेंगे एवं वे किसी विशेष भत्ते (Special Allowance)/प्रतिनियुक्ति भत्ते (Deputation Allowance) के हकदार नहीं होंगे ।

03. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र, अहमदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(ब्रज लाल मीना)
उप आयुक्त (मु.आ.का.)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वड़ोदरा क्षेत्र ।
2. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद ।
3. अपर महानिदेशक (सतर्कता), सतर्कता महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद जोनल इकाई, अहमदाबाद, 6/1, चित्रा एनो अपार्टमेंट, पुराने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने, आश्रम रोड़, नवरंगपुरा, अहमदाबाद:380009 (दूरभाष नंबर- 079-23584774) को उनके पत्र फा.सं. II/36 (VIG)ADMN-26/2014,दिनांक: 31.12.2014 के संदर्भ में ।
4. अपर महानिदेश, सतर्कता महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कनरा संख्या- 280, दूसरी मंजिल, सम्राट होटल, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I/ अहमदाबाद-II/ अहमदाबाद-III/ सेवा कर, अहमदाबाद/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-I एवं ऑडिट-II/ राजकोट/ भावनगर/कच्छ/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-III ।
6. आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद/जामनगर/कांडला/मुंद्रा ।
7. सामान्य सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वर्ग 'ख' राजपत्रित/अराजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारी संघ, अहमदाबाद/राजकोट ।
8. मुख्य लेखा अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी (स्थापना), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I ।
9. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद ।
10. व्यक्ति विशेष/गार्ड फाइल ।
11. अधीक्षक (सिस्टम), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I (इस आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अनुरोध किया जाता है) ।